

प्रपत्र-2.1

भाग- ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान *Construction of Atrial Admirel Village Drawing Motor Re*

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - उत्तराखण्ड
- ii) ज़िला - चमोली
- iii) वन प्रभाग - कड़ीनाम्पवन उमाग, गोपेश्वर
- iv) वनेतार प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन गृहि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) - 2.10 हेक्टे
- v) वन की कानूनी स्थिति - 2.10 हेक्टे एटीमिल
- vi) हरियाली का घनत्व - 0.3
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि अणीवार वृक्षों की परिमाणना (संलग्न की जाए)। सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक०आर०एल० - ४ मी० पर परिमाणना भी संलग्न किए जाए
- viii) गृहण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन - संहरण शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
- ix) वनेतार प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी - ३०० मी.
- x) क्या काम सार्वजनिक उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी कारीडार आदि का माग है (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)
- xii) क्या हेतु में वनापति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है - नहीं यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।
- xiii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सदूषण प्राधिकरण से अनापति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या
- 8- क्योंकि एंजेनरी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और आवश्यक है। यदि नहीं, तो जावे गए विकल्पों के व्यौरी के साथ मदवार सस्तुत क्षेत्र क्या है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दाढ़ी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्याप्ति तथा उल्लंघन सामन्धी कार्य अभी भी यह रह रहा है।

- 10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यारा—
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेतार क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, मूँ-खण्डों की संख्या, प्रत्येक मूँ-खण्ड की संख्या, प्रत्येक मूँ-खण्ड का आकार। — संहरन
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेतार क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता हैप। — प्रदर्शन में संहरन
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत दाता आदि। — संहरन
 - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिवय। — संहरन
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा दस्तावेजित किया जाए)। — संहरन
- 11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालग्र 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये उत्त्वों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12— प्रभाग/जिला प्रोफाइल
जिला का भौगोलिक क्षेत्र। — 803000 ha.
i. जिला का वन क्षेत्र। — 514792 ha.
ii. गामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतार प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। — 210 माम्रे 826.453 ha.
iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
(f) दप्त के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन गृमि
(g) वनेतार भूमि पर 30/06/2017 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
(h) वन गृमि पर — 462.94 ha.
(l) वनेतार भूमि पर — 497.57 ha.
- 13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष रिफारिश। — जनरेट में संस्कृति की जाती है।

दिनांक 26/06/2017

स्थान गोपेश्वर

हस्ताक्षर

नाम (रमेशन-याण्डेय)
प्रभागीय वन्यधिकारी
वन्यकान्त वन पक्ष, गोपेश्वर